

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 15.10.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता रंगीलाल कोहार पुत्र बेचूलाल प्रजापति निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह, का0 सुनील गप्ता, का0 धीरज।

02-थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता नीलम उपाध्याय पुत्र अवधेश उपाध्याय निवासी करमहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सम्पति वर्मा, का0 ओम प्रकाश चौरसिया, म0का0 अंजना, म0का0 आकांक्षा सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 448 वाहनों से 632,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 448 वाहनों से 632,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 15.10.2026

मिशन शक्ति 6.0 अभियान के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 6.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 425/2026 धारा 69, 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)ध, 3(2)(v), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता इरसाद अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद साकिन वनरहिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 15.10.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि थाना महुली पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, व धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 12.10.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अजीत सिंह, हे0का0 आन्नद दूबे, का0 आदित्य सिंह।